भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 711

उत्तर देने की तारीख : 04.02.2026

अल्पसंख्यक समुदाय का निर्धारण

711. श्री दामोदर अग्रवाल:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है;

(ख) उस कानून का ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक की परिभाषा निर्धारित की गई है;

(ग) देश के अल्पसंख्यक समुदाय में किन-किन धर्म/आस्था/संप्रदाय या जाति के लोगों को शामिल किया गया है;

(घ) देश में अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का धर्म/आस्था/संप्रदाय/जाति एवं जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या में कोई बड़ा बदलाव आया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी धर्म/आस्था/संप्रदाय/जाति एवं जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के अनुसार, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए "अल्पसंख्यक" वह समुदाय है जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो। भारत सरकार ने छह समुदायों अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, ज़ोरोएस्ट्रियन (पारसी) और जैन को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया है।

(घ) से (च) जनसंख्या जनगणना में "अल्पसंख्यक" शब्द की पहचान नहीं की जाती है। तथापि, जनगणना में, भारत के लोगों द्वारा दावा किए गए धर्मों पर डेटा एकत्र, सारणीबद्ध और प्रकाशित किया जाता है। जनगणना 2011 और 2001 के धर्म संबंधी आंकड़े **"तालिका सी-01: धार्मिक समुदाय के तहत जनसंख्या"** में प्रकाशित किए गए हैं, जो भारत की जनगणना वेबसाइट https://censusindiagov.in पर ऑनलाइन (डाउनलोड करने योग्य) उपलब्ध हैं और विस्तृत लिंक इस प्रकार है: ***https://censusindia.gov.in/census.website/ data/census-tables*** → जनगणना वर्ष चुनें (अर्थात 2011 या 2001) → तालिका सीरीज → धर्म → **तालिका सी-01: धार्मिक समुदाय के तहत जनसंख्या** → राज्य/जिला चुनें।

*****